निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला संशोधित सार्वजनिक सूचना

हरियाणा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश।

यह सूचना, जनसाधारण एवं हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि हरियाणा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उक्त नियम 2011 के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने हेतू लिखा गया था। जिसमें MIS Portal पर उपलब्ध कुल 10701 निजी विद्यालयों में से 7567 विद्यालयों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। जिसके लिए विभाग द्वारा बच्चों के आर्न–लाईन माध्यम से दाखिले हेतू दिनांक 15.04.2025 से उज्जवल पोर्टल खोला जा चुका है। जिसकी तिथि अब दिनांक 21.04.2025 से बढाकर दिनांक 25.04.2025 तक कर दी गई है।

हरियाणा में चल रहे सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विद्यालयों में कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षा में उपलब्ध सीटों की जो जानकारी आप द्वारा 25% सीट डिकलेरेशन में दिखाई गई या नही दिखाई गई है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलो को उज्जवल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार करना होगा। जिन अभिभावको के घर/निवास स्थान से एक कि0मी0 के दायरे में जितने भी मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूल होगें, में ऑनलाईन पोर्टल पर फार्म भर सकते है। जिस मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालय के पास 25% सीटो से अधिक आनलाईन दाखिले फार्म प्राप्त होगें तो जिला स्तरीय कमेटी/अभिभावको की उपस्थिति में ड्रा निकालना सुनिश्चित करेगें तथा हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में समय–2 पर सशोंधित नियम की सभी धाराओं को मानने के लिए बाध्य होगें। इसके अतिरिक्त अभिभावक बच्चो के प्रवेश से सम्बन्धित दस्तावेज सम्बन्धित विद्यालयो में दाखिले के समय जमा करवाने के लिये बाध्य होगें।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निम्न कैटेगेरी के बालकों का प्रवेश देने हेतू हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 2 (1) (एफ) के निम्नानुसार है :–

- *(i) हरियाणा सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों से 'गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार का बालक।*
- *(ii) अनाथ।*
- *(iii) एच.आई.वी. प्रभावित बालक।*
- *(iv) विशेष जरूरत वाला बालक।*
- *(v) युद्व विधवा का बालक।*

उपरोक्त अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की कुल सीटों का कम से कम 5% SC, 4 % BC(A), 2.5 % BC(B) कैटेगरी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 504 दिनांक 17.12.2021 तथा समय–समय पर जारी हिदायतों का भी अनुसंरण करना अनिवार्य है।

बालकों का प्रवेश देने की समय–सारणी निम्नानुसार है:–

RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभार्थियो हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि	15.04.2025 से 25.04.2025 तक

अन्तिम तिथि उपरान्त सभी अभिभावको से अनुरोध है कि Final Submit Report के साथ सभी सम्बन्धित मूल दस्तावेजो की प्रति सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाये। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जमा कराये गये दस्तावेजो की पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करेगें। सत्यापन करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के उपरान्त जिन आवेदनो की पुष्टि या जांच सही पाई जायेगी उन आवेदनो की सूची को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त Randomization/Lottery प्रक्रिया से आवेदको को विद्यालय अलॉट कर दिये जायेगें। किसी भी प्रकार के लिटिगेशन बारे सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेवार होगी। जिला स्तरीय कमेटी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निणर्य लेगी। उपरोक्त पुष्टि सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम हिदायतों/नियमों के अनुसार की जायेगी।

Age Criteria

Level	Age
School/Nursery	3-4 Years
Primary/K.G.	4-6 Years
Class-1st	Above 5 Years 6 Months

नोटः–1. जो स्कूल की सबसे पहली कक्षा होगी उसी कक्षा में ही आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जायेगें।

2. जिन मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में बच्चें वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 से पहले से ही पढ़ रहे है वे सभी स्कूल अगली कक्षा में उन विद्यार्थियों को अपग्रेड करने के लिये बाध्य होगें।

नोटः– जिन अभिभावकों द्वारा दाखिला फार्म दिनांक 19.04.2025 तक अप्लाई किया गया है, को उक्त दिशा–निर्देशों अनुसार फार्म में संशोधन करते हुए पुनः जमा (Submit) करना अनिवार्य है। अन्यथा दाखिला फार्म पोर्टल रद्द माना जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वैबसाईट **https://harprathmik.gov.in** पर **Latest News Section** में संपर्क कर सकते है। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हैल्पलाईन न0 0172–5049801 (प्रातः 9.00 बजे से सायः 5.00 बजे सभी कार्यदिवसो पर) सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता0
महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

E:\Ele. Branch Work\Poonam Mam\2023\Draft\Hindi Draft 2023.Docx